स्वच्छता मापदण्डो के विपरीत कार्य करने वाले व्यापारियो पर 23050 रूपये की गई चालानी कार्यवाही
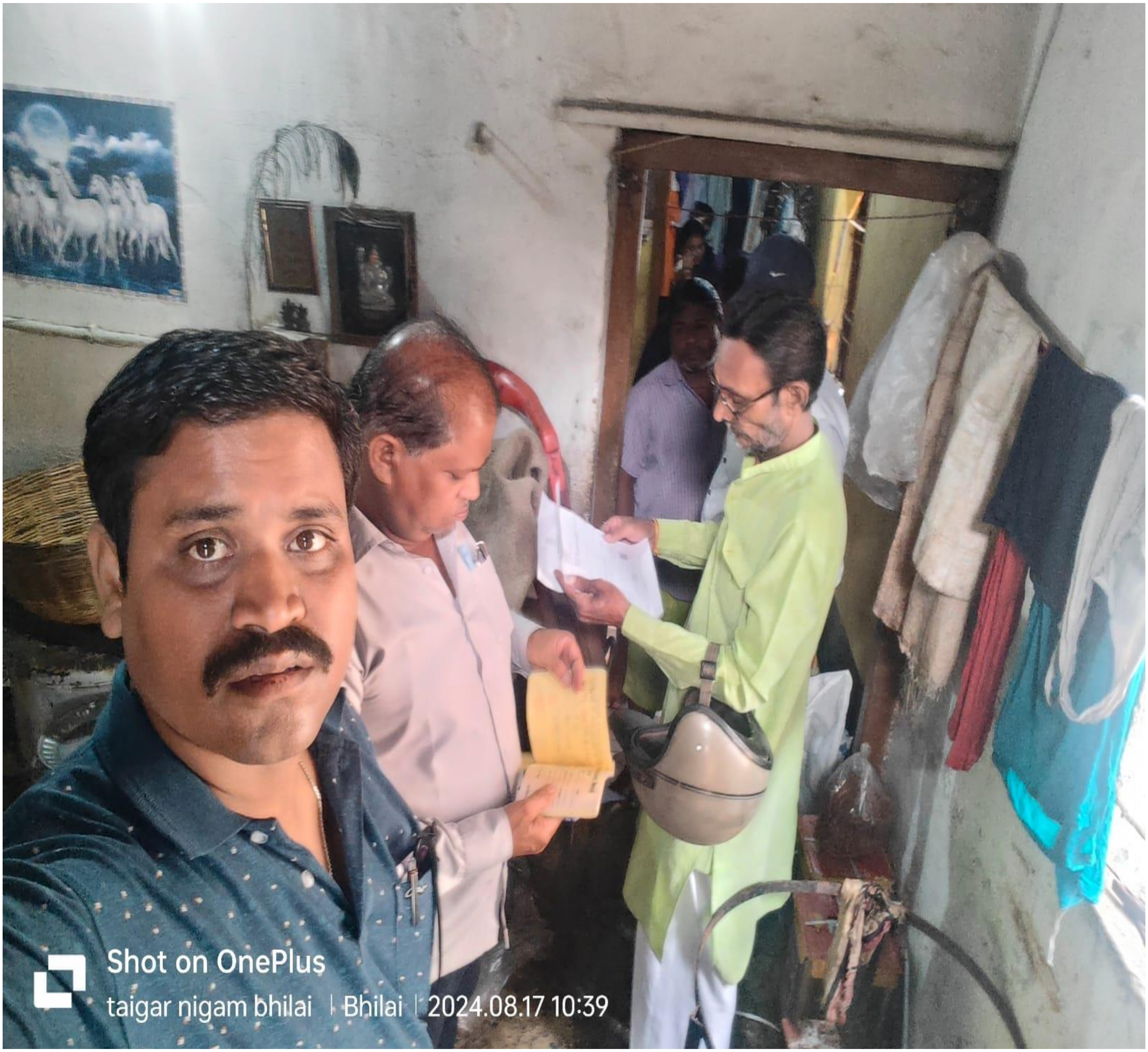
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 03 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र के दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें जोन क्षेत्र के 16 दुकानो पर खादय पदार्थ, स्ट्रीट फूड, गुमस्ता लाईसेंस एवं सिंगल युज प्लास्टिक की जॉच की गई। दुकानदारो के पास जॉच के दौरान सिंगल युज प्लास्टिक मिलने पर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही भी की गई। इन प्रमुख बाजारो में कार्यवाही की गई जवाहर मार्केट, सकुर्लर मार्केट, फल मार्केट, सब्जी मार्केट, मटन मछली मार्केट, लिंक रोड पर सिंगलयुज प्लासिटक एवं चालानी कार्यवाही करते हुए 600 रूपये जुर्माना लगाया गया। गंदगी फैलाने वालो पर 20700 जुर्माना लगाया गया। खाद पदार्थ गुणवत्ता की जॉच 6 दुकानो से 750 रूपये का अर्थदण्ड। वायु प्रदुषण फैलाने वाले घरेलू उद्योगो पर 1000 रूपये अर्थदण्ड कुल 23050 रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया। कुल 117 व्यापारियो पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के.के.सिंह, जोन के स्वच्छता निरीक्षक विरेन्द्र बंजारे, पर्यवेक्षक सुरेश पटेल, बिरबल भारती, जयंत मेश्राम, एस पपईया, रंगबादुर सोनी, एस. विनोद, हेमकुमार, यशकुमार आदि उपस्थित रहे।